

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—:: कार्यालय आदेश ::—

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक: प.11(7)/वित्त(नियम)/2008 दिनांक: 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ. 11(7)/ वित्त(नियम) पार्ट-1/2008 दिनांक 06.08.2008 के अनुसरण में एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान (संशोधित) नियम 1998 एवं राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 14 एवं 15 के तहत राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याताओं को कॉलम संख्या 07 में अंकित निरन्तर संतोषजनक सेवावधि पूर्ण करने पर उनके नाम के आगे अंकित विवरण अनुसार वरिष्ठ वेतनमान/एसीपी (आश्वासित कैरियर प्रगति) ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल कॉलम संख्या 09 के अनुसार, कॉलम संख्या 10 में अंकित तिथि से स्वीकृत की जाती है :-

क्र. सं.	नाम व्या. मय पदस्थापन स्थान (राजमावि/राबाउमावि) सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विषय	जन्म तिथि	व्या. में चयन का प्रकार	प्रथम नियुक्ति तिथि/एसीपी गणना हेतु नियमित नियुक्ति तिथि	स्वीकृत एसीपी	वेतन बैंड	स्वीकृत ग्रेड पे/पे मैट्रिक्स लेवल	स्वीकृति तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	नेमीचन्द सोगर, भरतपुर	अंग्रेजी	07.06.1966	DPC	11.10.1989	III 30वर्षीय	—	एल-14	11.10.2019
2	रामस्वरूप बग्गड़, नागौर	अंग्रेजी	14.10.1971	DPC	22.12.1998	II 20वर्षीय	—	एल-13	22.12.2018
3	रक्षा शाह बा. खांडू कॉलोनी, वांसवाड़ा	अंग्रेजी	03.03.1968	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020
4	प्रज्ञा जैन धनेतकलां, चित्तौड़गढ़	अंग्रेजी	25.06.1965	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020
5	सुमन गुप्ता मंडाभीमसिंह जयपुर	अंग्रेजी	28.08.1972	DPC	05.11.1997	II 20वर्षीय	—	एल-13	05.11.2017
6	भगवती देवी शर्मा बा. वल्लभनगर कोटा	अंग्रेजी	01.12.1962	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020
7	चन्द्रा वा. केकड़ी, अजमेर	अंग्रेजी	17.02.1962	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020
8	सतीश चंद खण्डेलवाल कोट, दौसा	अंग्रेजी	21.08.1961	DPC	02.07.1990	III 30वर्षीय	—	एल-14	02.07.2020

उपरोक्त व्याख्याताओं का वेतन निर्धारण संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा। इस स्वीकृति एवं वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित व्याख्याता की सेवा-पुस्तिका में आवश्यक रूप से अंकित की जावें।


(सौरभ स्वामी)
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

दिनांक :- 27/11/2020

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/सी-1/एसीपी/अंग्रेजी/संस्कृत/2018-19-20/85

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्य.) मुख्यालय
3. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
5. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. निजी/रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)